

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./आईडीसी/2018/505

भोपाल, दिनांक 19/09/2018

प्रति,

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्य प्रदेश


समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्य प्रदेश

विषय : इंडियन डेंटल कॉउंसिल के 72वें वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने की अनुमति बाबद्।

इंडियन डेंटल कॉउंसिल का 72वां वार्षिक अधिवेशन दिनांक 18-20 जनवरी 2019 तक ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में भाग लेने हेतु इच्छुक दंत चिकित्सको को निम्न शर्तों के तहत अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. अधिवेशन में भाग लेने पर दंत चिकित्सकों को उक्त अवधि के लिये विशेष विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाये।
2. अधिवेशन में दंत चिकित्सक द्वारा पेपर प्रस्तुत करने पर पात्रतानुसार यात्रा-भत्ते का भुगतान किया जाये।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित



(राकेश मुंशी)


संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 19/09/2018

पृ. क्र./प्रशि./आईडीसी/2018/506

प्रतिलिपि:-कृपया सूचनार्थ

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. डॉ० देशराज जैन, आर्गेनाईजिंग चेअरमेन, इंडियन डेंटल कॉउंसिल, इंदौर को उनके पत्र दिनांक 03/09/2018 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
4. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक (वित्त), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।



संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश